

शासन ने कोर्ट में कहा, दोषी महिला पर लग चुका है जुर्माना

सरकारी गाड़ी में पुलिस अधिकारी की पत्नी का बर्थडे

बिलासपुर। बलरामपुर जिले के पुलिस अधिकारी की पत्नी द्वारा सरकारी गाड़ी में बर्थ डे मनाने के मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया गया। हाईकोर्ट को बताया गया कि, एफआईआर के बाद चालान पेश किया गया है। इस पर दोषी महिला के खिलाफ जुर्माना अधिरोपित किया गया है। डीबी ने अगली सुनवाई अगस्त में निर्धारित कर दी है। इससे पहले कहा गया था कि, बलरामपुर जिले के एक पुलिस उपाधीक्षक की पत्नी का एक निजी वाहन, जिस पर नीली बत्ती लगी है, के बोनट पर अपना जन्मदिन मनाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया और फिर कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेकर राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने और यह बताने का निर्देश दिया था कि

अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। सड़कों पर इस तरह के उपद्रव को रोकने के लिए राज्य क्या निवारक कदम उठाने का प्रस्ताव रखता है। उस घटना में भी, पुलिस अधिकारियों ने शुरू में अपराधी पर केवल 300 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे इस न्यायालय ने केवल दिखावा माना था।

महिला के खिलाफ जुर्माना

आज चीफ जस्टिस व जस्टिस बीडी गुरु कीडिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में मुख्य सचिव का शपथपत्र शासन की ओर से पेश किया गया। शासन ने कोर्ट को बताया कि, बलरामपुर के मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी की गई है। दोषी महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया गया। यहां से दोषी महिला के खिलाफ जुर्माने का आदेश जारी किया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है।

अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी

मालूम हो कि, इससे पूर्व हुई सुनवाई में कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसमें पुछा गया था कि, इस न्यायालय द्वारा राजमार्गों/सड़कों/गलियों पर जन्मदिन समारोह/उपद्रव रोकने के लिए विभिन्न आदेश पारित किए जाने के बावजूद, ऐसी घटनाएँ क्यों हो रही है। जब कार में सवार व्यक्ति एक डीएसपी की पत्नी और उसके दोस्त बताए गए हैं, फिर भी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।